



2026:AHC:38038

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या-1738/2026

चंद्र कांत जादोन

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: अर्पण कुमार पांडे, नमित श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री नमित श्रीवास्तव और राज्य-उत्तरदाताओं के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव को सुना।
2. इस न्यायालय ने 06.02.2026 को इस याचिका पर विचार किया और विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता को निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया और उसके बाद मामला आज के लिए तय कर दिया गया। निर्देश श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, विद्वान अधिवक्ता, अतिरिक्त मुख्य विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा प्रदान किए गए हैं, प्रस्तुत करता है कि वह निर्देशों के आच्छी तरह सुसज्जित है और निर्देश रिट याचिका का निपटारा के लिए आत्मनिर्भर हैं और वह कोई और शपथपत्र दायर करने का प्रस्ताव नहीं करता है और याचिका दायर की जाएगी अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, इस प्रकार पक्षों की सहमति से रिट याचिका पर नए चरण में निर्णय लिया जा रहा है।
3. रिट याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि रिट याचिकाकर्ता को पुलिस लाइन, जिला-फतेहगढ़ में हेड कांस्टेबल के रूप में तैनात किया गया था, लेकिन 18.08.2025 को उन्हें हेड मोहरिर मलखाना के रूप में स्थानंतरित कर दिया गया, पुलिस स्टेशन कैमगंज, जिला-फतेहगढ़, इस तथ्य का आरोप लगाते हुए कि रिट याचिकाकर्ता ने कार्यभार संभालने से इनकार कर दिया, धारा के तहत निहित प्रावधानों दृष्टि में रखते हुए रिट याचिकाकर्ता को निलंबन के तहत रखते हुए दिनांक 15.09.2025

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



का विवादित निलंबन आदेश पारित किया गया उत्तर प्रदेश पुलिस अधीनस्थ रैंक अधिकारी (दंड एवं अपील) नियम, 1991 की धारा 17(1)(ए).

4. इस प्रकार प्रश्न उठाते हुए रिट याचिकाकर्ता ने वर्मान रिट याचिका दायर की है।

5. आदेश पारित होने के बाद, आज पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़ के हस्ताक्षर, दिनांक 17.02.2026 के अंतर्गत निर्देश भेजे गए हैं, जिन्हें अभिलेख लिया गया है और परिशिष्ट ए के रूप में चिन्हित किया गया है।

6. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि विवादित आदेश को इस साधारण कारण से भी कायम नहीं रखा जा सकता कि आरोप यदि कोई हों, तो कोई कदाचार नहीं हैं, कि रिट याचिकाकर्ता को निलंबित किया जा सके, दलील यह भी है कि याचिकाकर्ता ने 15.09.2025 को काम किया था और कुछ बीमारी के कारण, उन्होंने छुट्टी ले ली और उक्त तथ्य के आधार पर याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया है।

7. दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने कहा है कि 17.02.2026 को 1991 के नियम 14 के उप-नियम (2) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, याचिकाकर्ता को जवाब देने की आवश्यकता है और रिट याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस पर अपना जवाब प्रस्तुत करना है।

8. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

9. स्पष्ट है कि, रिट याचिकाकर्ता उत्तर प्रदेश पुलिस अधीनस्थ रैंक अधिकारी (दंड और अपील) नियम, 1991 के अंतर्गत निहित प्रावधानों द्वारा शासित होता है, यद्यपि याचिकाकर्ता को 15.09.2025 को निलंबित कर दिया गया था, तथापि, दिनांक 17.02.2026 के पृष्ठ-8 पर दिए गए निर्देशों के अनुसार, पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़ ने 1991 के नियमों के नियम 14(2) को 1991 के नियम 5(2) के साथ पढ़ने पर यह पता चलेगा कि याचिकाकर्ता पर मामूली जुर्माना लगाने के लिए कार्यवाही की गई है।

10. न्यायालय की राय में, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पहले ही एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है, जिसमें याचिकाकर्ता को नाबालिग पर आरोप लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस में निहित आरोपों के संबंध में अपना जवाब प्रस्तुत करने की आवश्यकता है 1991 के नियम 14 के साथ पढ़े गए उप-नियम (2) के अंतर्गत निहित प्रावधानों के संदर्भ में जुर्माना, यह न्यायालय इस संबंध में निलंबन जारी रखने का निर्णय नहीं लेता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



11. तदनुसार, रिट याचिका पर निम्नलिखित तरीके से निर्णय लिया जा रहा है:-

(क) पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़ द्वारा पारित रिट याचिकाकर्ता को निलंबित करने वाले दिनांक 15.09.2025 के निलंबन आदेश को निरस्त किया जाता है, याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल किया जाएगा।

(ख) याचिकाकर्ता को उस अवधि के लिए वैधानिक अनुपालन के अधीन नियमों के अनुसार निर्वाह भत्ता दिया जाएगा, जब वह निलंबन पर था, यदि भुगतान नहीं किया गया हो।

(ग) याचिकाकर्ता दिनांक 17.02.2026 के कारण बताओ नोटिस का 13.03.2026 तक जवाब देगा और उसके बाद एक महीने की अवधि के भीतर अंतिम आदेश पारित किया जाएगा।

12. चूंकि निर्देशों के प्रति याचिकाकर्ता के विद्वान आधिवक्ता को दे दी गई है, इसलिए यह माना जाएगा कि याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस के बारे में जानकारी है।

13. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

19 फरवरी, 2026

आशु